भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3513

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृति योजना हेतु निर्धारित मानदंड

3513. श्रीमती हिमाद्री सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा हेतु केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किए जाने वाले संस्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जाति के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना के अंतर्गत, ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये तक है और जिन्होंने किसी सूचीबद्ध संस्थान में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संस्थान को आवंटित छात्रवृत्तियों (स्लॉट) की संख्या की सीमा के अधीन पात्र हैं।

(ख): संस्थानों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संचालन समिति की सिफारिश के आधार पर योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)/राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी)/राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

(एनआईडी)/भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम)/राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थान इस योजना के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ए++ और ए+ प्रत्यायन, शीर्ष 100 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी इस योजना के तहत पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

(ग): योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई धनराशि तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**आबंटित धनराशि (संशोधित अनुमान) (करोड़ में)**	**व्यय (करोड़ में)**	**लाभार्थियों की संख्या**
2021-22	70.00	84.72	4,544
2022-23	108.00	85.67	4,171
2023-24	100.00	83.84	3,969

*****